भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 197
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया)

सीएसआर फंड का उपयोग

197. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत विभिन्न सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियों/कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रयुक्त और अप्रयुक्त निधि का आंध्रप्रदेश सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कुछ कंपनियों सीएसआर निधि का उपयोग अपने कर्मचारियों, परिवहन सुविधाओं, क्षेत्र के सौंदर्यीकरण, स्कूलों और अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने और जनसंपर्क बनाए रखने के लिए करती हैं;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा नियमानुसार सीएसआर निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर किया गया सेक्टर-वार और राज्य-वार व्यय क्रमशः अनुलग्नक- I और अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त, अप्रयुक्त सीएसआर दायित्व के संबंध में, मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020, ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसमें लेखापरीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देना आवश्यक है।

जारी...2/-

(ख) और (ग): कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 2 (1) (घ) (iv) में निर्धारित किया गया है कि सीएसआर परियोजनाएं/कार्यक्रम/कार्यकलाप जो केवल कंपनी के कर्मचारियों को लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। सीएसआर के लिए कानूनी ढांचा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के तहत प्रदान किया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची VII उन क्षेत्रों या कार्यकलापों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें किसी कंपनी द्वारा सीएसआर के रूप में किया जा सकता है।

(घ): प्रत्येक पात्र कंपनी को एक सीएसआर समिति गठित करनी होती है जिसमें तीन या अधिक निदेशक होते हैं। समिति सीएसआर नीति तैयार करेगी और सिफारिश करेगी जो अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्र या विषय में कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों को इंगित करती है। कंपनी का बोर्ड अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाता है, निर्णय लेता है, निष्पादन करता है और निगरानी करता है। कंपनी के बोर्ड को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति का प्रकटन करना भी अपेक्षित है। कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4 (5) के तहत, कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि इस प्रकार वितरित धन का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस आशय को प्रमाणित करेगा। सीएसआर कार्यकलाप, प्रभाव आकलन आदि का विवरण सभी कंपनियों द्वारा 'सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट' में सूचित किया जाना आवश्यक है, जिसमें सीएसआर पर वार्षिक कार्य योजना शामिल है जो कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा है। सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट किसी कंपनी के बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइटें हैं, उन्हें सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करना अपेक्षित है।

इस प्रकार, मौजूदा वैधानिक प्रावधानों जैसे अनिवार्य प्रकटीकरण, सीएसआर समिति और बोर्ड की जवाबदेही, कंपनी के लेखाओं की सांविधिक लेखापरीक्षा के प्रावधान आदि के साथ-साथ कारपोरेट अभिशासन ढांचा कंपनियों द्वारा कार्यान्वित सीएसआर कार्यकलापों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है। सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की जानी अपेक्षित है। सीएसआर से संबंधित प्रकटन कंपनियों द्वारा एमसीए21 पोर्टल में फाइल किए जाते हैं। जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना प्राप्त होती है, तो रिकार्डों की विधिवत जांच करके और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के उपरांत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुपालन न करने वाली ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ की जाती है।

******

अनुलग्नक- I

दिनांक 25.11.2024 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020-21 से 2022-23 तक क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	**विकास क्षेत्र**	**वित्त वर्ष 2020-21**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**
1	कृषि वानिकी	20.90	34.27	65.07
2	पशु कल्याण	193.55	168.79	315.98
3	सशस्त्र बल, वयोवृद्ध, वीरांगनाएं/आश्रित	84.05	47.22	62.27
4	कला और संस्कृति	493.13	248.34	441.02
5	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	92.00	273.82	580.37
6	शिक्षा	6,693.25	6,569.82	10,085.78
7	पर्यावरणीय स्थिरता	1,030.16	2,433.24	1,960.13
8	लैंगिक समानता	43.83	104.67	119.83
9	स्वास्थ्य देखभाल	7,325.83	7,816.29	6,830.60
10	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	938.91	854.78	1,654.39
11	केंद्र सरकार की अन्य निधियां	3,491.30	1,620.09	1,091.86
12	गरीबी, भूख उन्मूलन, कुपोषण	1,407.58	1,896.95	1,232.62
13	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,850.71	1,833.76	2,005.37
14	सुरक्षित पेयजल	203.13	182.68	246.36
15	स्वच्छता	338.97	313.26	429.91
16	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	56.47	79.58	132.87
17	महिलाओं के लिए घरों और छात्रावासों की स्थापना	44.52	100.92	48.53
18	अनाथालय की स्थापना	21.88	27.52	41.24
19	स्लम क्षेत्र विकास	88.95	58.38	93.84
20	सामाजिक-आर्थिक असमानताएं	149.81	164.90	154.01
21	विशेष शिक्षा	209.24	190.52	305.67
22	प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटर	62.62	8.57	1.38
23	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	243.39	291.85	526.14
24	व्यावसायिक कौशल	717.65	1,034.18	1,164.19
25	महिला सशक्तिकरण	206.00	261.34	396.99
26	एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं)/उल्लेख नहीं किया गया *	203.14	0.59	1.50
	कुल	**26,210.95**	**26,616.30**	**29,987.92**

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्र निदष्ट किए जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

अनुलग्नक- II

दिनांक 25.11.2024 के लिए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

2020-21 से 2022-23 तक राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23
1	अंडमान और निकोबार	2.86	9.71	2.53
2	आंध्र प्रदेश	719.81	656.79	954.65
3	अरुणाचल प्रदेश	10.58	119.42	13.35
4	असम	180.23	406.17	470.25
5	बिहार	89.89	165.97	235.37
6	चंडीगढ़	13.40	50.88	18.63
7	छत्तीसगढ़	325.63	305.29	596.11
8	दादरा और नगर हवेली	21.98	14.11	13.71
9	दमन और दीव	5.25	4.13	9.40
10	दिल्ली	724.59	1,196.34	1,483.91
11	गोवा	41.92	45.43	58.16
12	गुजरात	1,461.60	1,604.26	2,008.42
13	हरियाणा	550.86	683.95	701.07
14	हिमाचल प्रदेश	106.31	140.22	138.63
15	जम्मू और कश्मीर	35.56	50.68	71.22
16	झारखंड	226.54	193.33	388.35
17	कर्नाटक	1,277.81	1,839.73	1,985.82
18	केरल	290.67	239.73	351.60
19	लक्षद्वीप	0.01	0.45	0.02
20	लेह और लद्दाख	-	14.84	11.72
21	मध्य प्रदेश	375.51	427.68	656.42
22	महाराष्ट्र	3,464.81	5,380.41	5,497.32
23	मणिपुर	10.39	15.62	53.45
24	मेघालय	17.63	19.63	21.73
25	मिजोरम	0.97	6.94	10.99
26	नागालैंड	3.57	12.46	13.57
27	ओडिशा	578.16	670.32	987.70
28	पुडुचेरी	12.43	9.31	12.55
29	पंजाब	158.46	184.89	247.57
30	राजस्थान	670.00	711.82	1,102.37
31	सिक्किम	17.28	28.24	36.18
32	तमिलनाडु	1,174.07	1,432.06	1,562.48
33	तेलंगाना	627.71	685.87	1,007.54
34	त्रिपुरा	9.29	15.91	19.26
35	उत्तर प्रदेश	907.32	1,339.18	1,152.57
36	उत्तराखंड	160.58	228.08	301.11
37	पश्चिम बंगाल	471.48	567.21	762.29
38	पैन इंडिया*	7,805.03	5,525.16	6,060.98
39	पैन इंडिया (अन्य केंद्रीकृत निधि)	3,491.30	1,613.57	948.81
40	एनईसी (अन्यत्र कवर नहीं)/उल्लेख नहीं किया गया *	169.47	0.52	20.12
	कुल	26,210.95	26,616.30	29,987.92

(31.03.2024 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा मैनेजमेंट सेल)

* कंपनियों ने या तो राज्य के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक राज्यों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****